न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीतारानी दासी.....वादिनी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
25.01.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–01 ता 06 की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 04.10.2023 के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–01 ता 06 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 04.10.2023 में कहा गया है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 06 न्यायालय में उपस्थित हुये तथा बयान तहरीरी निर्धारित समयावधि में दाखिल नही किये तथा बयान तहरीरी दाखिल न करने के कारण दिनांक 14.08.2023 को प्रतिवादी सं0–01 ता 06 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिवादीगण अनपढ एवं गवार व्यक्ति है, जरूरी कागजात समय पर उपलब्ध नही होने के कारण अपना बयान तहरीरी निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल नही कर सके। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 ता 06 बयान तहरीरी दाखिल कर संघर्ष करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 14.08.2023 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0–01 ता 06 का बयान तहरीरी स्वीकार कर इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अगर प्रतिवादी सं0–01 ता 06 को इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति नही दी जायेगी तो प्रतिवादी सं0–01 ता 06 को अपूर्णीय क्षति होगी। वादिनी की ओर से प्रतिवादी सं0–01 ता 06 के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादी सं0–01 ता 06 को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किये है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 ता 03, 05 एवं 06 दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीतारानी दासी.....वादिनी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 25.01.2024	माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 03.02.2023 को प्रतिवादी सं0–01 ता 03, 05 एवं 06 की ओर से बयान तहरीरी समय से दाखिल न करने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 ता 06 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिवादी सं0–01 ता 03, 05 एवं 06 काफी समय के बाद दिनांक 04.10.2023 को न्यायालय में अपना बयान तहरीरी दाखिल की है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है तथा प्रतिवादी सं0–04 दिनांक 14.08.2023 को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किये गये है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 06 का आवेदन मो0–6000/– (छः हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 03.02.2023 एवं दिनांक 14.08.2023 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 06 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 13.02.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	